

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16752/2025

Anil Kumar S/o Brijkishor, Aged About 21 Years, R/o Dhani Chanduwali Road Tan Bansur, Police Station Bansur, District Kotputli-Behror (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Behror, District Kotputli-Behror).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1456/2026

Vinod Kumar Son Of Ratiram, Aged About 23 Years, R/o Dhani Chanduwali Road Bansur, Police Station Bansur, District Kotputli-Behror (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Behror, District Kotputli-Behror).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1457/2026

Vikram Singh Gurjar S/o Kishanlal, Aged About 30 Years, R/o Katariya Ka Bas, Police Station Harsora, District Kotputli-Behror (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Behror, District Kotputli-Behror)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2337/2026

Sumit Gurjar S/o Savatram, Aged About 19 Years, R/o Mahanpur, Police Station Bansur, District Kotputli-Behror (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail Behror District Kotputli-Behror).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rajveer Gurjar
Ms. Saroj Singh
Mr. Hem Chand
Mr. Bharat Yadav
Mr. R.P.Gautam
For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

12/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनिल कुमार, विनोद कुमार, विक्रम सिंह एवं सुमित गुर्जर की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2025 अपराध अंतर्गत धारा 109(1), 324(4), 126(2), 189(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ अलग-अलग प्रार्थना-पत्र पेश किए गए हैं, जिनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनिल कुमार, विनोद, विक्रम एवं सुमित का तर्क है कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में परिवादी पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के साथ घटना पूर्व में कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त विनोद ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 321/2025 दर्ज करवाई थी। उनका तर्क है कि स्वयं परिवादी पक्ष पूर्व में भी अभियुक्तगण पर हमला कर चुका है एवं वर्तमान घटना में भी उन्हीं के द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में भी उनकी ओर से क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2025 प्रस्तुत की गई है। उक्त तथाकथित सम्पूर्ण घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपहति कारित नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार दिनांक 27.11.2025 से, प्रार्थी सुमित दिनांक 30.11.2025 से एवं विनोद तथा विक्रम दिनांक 03.12.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है। आरोप-पत्र पेश हो चुका है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध

पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। अतः उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि चारों अभियुक्तगण का घटना कारित करने वालों में नाम है। उनके द्वारा महिपाल, घनश्याम, अशोक कुमार एवं कालू उर्फ भीमराज पर वाहन चढ़ाकर उनकी मृत्यु कारित करने का प्रयास किया गया है। तथाकथित वाहन जिसके द्वारा टक्कर मारना बताए गए हैं उनमें से वाहन थार अभियुक्त अनिल के आधिपत्य से बरामद हुई है। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थीगण की जमानत का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से पूर्व में परिवादी पक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वर्तमान मामले की घटना में परिवादी अथवा अभियुक्त दोनों पक्षों में से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार दिनांक 27.11.2025 से, प्रार्थी सुमित दिनांक 30.11.2025 से एवं विनोद तथा विक्रम दिनांक 03.12.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है। आरोप-पत्र पेश हो चुका है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में इन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत चारों जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्ता योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J